ing tanneries. The salient steps are as under :

(i) Effluent standards have been prescribed under the Environment (Protection) Act, 1986 ;

(ii) Environment guidelines have been evolved for siting and operation of industries ;

(iii) Industries have been asked to comply with consent requirements of the State Pollution Control Boards to limit the discharge of effluents within the stipulated standards ;

(iv) The Central Government in consultation with the State Governments have prepared an action plan to meet the effluent standards for polluting industries ;

(v) Fiscal incentives are provided for installation of pollution control equipment and also for the shifting of polluting industries from congested area ;

(vi) Network of ambient water quality monitering stations have been set up ;

(vii) A scheme has been initiated to give assistance to cluster of small scale industrial units for setting up common effluent treatment plants and to provide loans to large and medium scale units under a World Bank Assisted Programme.

वन्य जीव अधिनियम संरक्षण

3521. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में 1 अक्तूबर, 1991 से प्रभावी संशोधनों को किए जाने से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था; यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अधिनियम की धारा 29, 61 और 62 के आधार पर राज्य सरकारों की शक्तियां समाप्त कर दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो अभयारण्य क्षेत्रों में दोहन पर लगे प्रतिबंध के परिणामस्वरूप वन उत्पादों के उत्पादन में किस सीमा तक कमी आएगी और उसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों के राजस्व में कितनी गिरावट आने की सम्भावना है ;

(घ) क्या सरकार राजस्व में इस प्रकार की कमी की क्षतिपूर्ति करने का विचार रखती है, यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ङ) क्या सरकार राज्य सरकारों को नये वृक्ष लगाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है ताकि दोहन पर लगाये गये प्रतिबंध के कारण उत्पादन में आई कमी को दूर किया जा सके; और

(च) वनों के दोहन पर लगाये गये प्रतिबंध के कारण रोजगार के अवसरों में आई कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम में संशोधन के लिए विधायी प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने से पूर्व 1978 से 1990 तक की अवधि में विभिन्न मंचों में विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों से परामर्श किया गया।

(ख) अधिनियम की अनुसूचियों में प्रविष्टियों में परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में धारा 61 और धारा 62 में संशोधन यह सुनिश्चित करने के लि

किया गया था कि अनुसूचियों में एकरूपता लाई जा सके और अन्तर-राज्य भिन्नता, जिसका गैर-कानूनी रूप से प्राप्त वन्यजीव उत्पादों के वैध ठहराने में चोरी छिपे शिकार करने वालों और बेईमान कर्मचारियों ने लाभ उठाया, को समाप्त किया जा सके, तथापि, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम की धारा 29 राज्य सरकारों से कोई शक्ति वापस लेने से सम्बन्धित नहीं है।

(ग) से (च) देश में वन्यजीवों के वास-स्थलों का पिछले कई वर्षों से, न केवल स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बल्कि वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भी वनों के अति दोहन के कारण गंभीर रूप से अतिक्रमण हुआ है। वन्यजीव (सुरक्षा) संशोधन अधिनियम में यह व्यवस्था है कि किसी अभयारण्य में किसी प्रकार का दोहन केवल तभी किया जा सकता जब राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा करना अभयारण्य में वन्यजीवों के सुधार और बेहतर प्रबन्ध के हित में है। इससे जीन-पूलों सहित मृदा और जल संरक्षण और जैव-विविधता संरक्षण जैसी पारि-प्रणाली की जीवन-सहायक प्रक्रियाओं, जो स्वयं मानव जाति के सतत अस्तित्व के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, का अनुरक्षण सुनिश्चित होगा। अति-दोहन की समाप्ति भविष्य में स्थानीय लोगों, विशेषकर आदिवासियों, के लिए लाभादयक सिद्ध होगी।

स्थानीय लोगों के सतत् विकास और उसके जीवनस्तर में सुधार के लिए इस वर्ष "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में और उसके आस-पास के क्षेत्रों का पारि-विकास" नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है। प्रकृति के संरक्षण की अन्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भी स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नये अवसरों की व्यवस्था है।

मध्य प्रदेश की लंबित परियोजनाएं

3522. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन स्वीकृति प्राप्त किए जाने के लिए 1 जनवरी, 1992 तक भारत सरकार के पास लंबित थीं ;

(ख) वर्ष 1991 के दौरान कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई; और

(ग) अन्य परियोजनाओं को मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जायेगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) मध्य प्रदेश से संबंधित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्रीय सरकार के पास 1-1-1992 को 62 प्रस्ताव लम्बित थे।

(ख) कैलेण्डर वर्ष 1991 के दौरान, मध्य प्रदेश से संबंधित 12 प्रस्तावों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी दी गई है।

(ग) 1-1-1992 को लम्बित 62 प्रस्तावों में से 40 प्रस्ताव इस मंत्रालय में जांच अधीन थे और 22 प्रस्ताव राज्य सरकार से मांगे गए अनिवार्य ब्यौरों के कारण लम्बित थे। राज्य सरकार से मांगी गई सूचना के प्राप्त होने के पश्चात् अंतिम निर्णय के लिए प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

Environmental clearance for converting reserve Forest Land

3523. SHRI E. BALANANDAN : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether Government have given environmental clearance for